

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

कार्यक्रम का नाम : संविदागत स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० (आर०) का मानदेय भुगतान

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – ANMs (Sub Centers) & Staff Nurses (Non-24x7 PHCs)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – A.8.1.1.1.f and A.8.1.1.2.e

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

राज्य के कार्यरत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति केन्द्र कुल 2 स्टाफ नर्स राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य में अनुबंध के आधार पर प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर एक-एक ए०एन०एम० (आर०) का नियोजन भी किया गया है। ए०एन०एम० (आर०) का चयन जिले के कुल स्वीकृत पद के अनुसार किया जाना है।

इकाई राशि –

Sl.No.	Name of Post	No. of Post	Salary (PM)
1.	Staff Nurse (Grade-"A")	1	20000
2.	ANM (R)	1	11500
Total			

वित्तीय दिशा-निर्देश –

- (1) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 194 (6) दिनांक 03/03/2011 के आलोक में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए नियोजित स्टाफ नर्सों को प्रतिमाह 20,000/- रु० की दर से मानदेय का भुगतान संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी द्वारा किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को यह राशि उनके आवश्यकता के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवंटित की जाएगी। **संविदागत स्टाफ नर्सों के मानदेय भुगतान FMR Code A.8.1.1.2.e से किया जाएगा।**
- (2) स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या 194 (6) दिनांक 03/03/2011 के आलोक में प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त ए०एन०एम० को प्रतिमाह 11,500/- रु० की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना है। पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुसार जिले के स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर कार्यरत सभी संविदागत ए०एन०एम० (ANM-R एवं ANM-C) के मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जिले को आवंटित किये जा रहे राशि से किया जाएगा। इस राशि का आवंटन जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के सहयोग से समयानुसार सभी संविदागत नियोजित ए०एन०एम० को मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। **संविदागत ए०एन०एम० के मानदेय भुगतान FMR Code A.8.1.1.1.f से किया जाएगा।**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम – वरीय उप-समाहर्ता-सह-प्रभारी, मानव संसाधन
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर – कार्यालय – 7488270145 /

मोबाईल – 9470003012

13/7/13

5.